रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062022-236876
CG-DL-E-28062022-236876

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944
No. 326] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 6, 1944

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2022

फा. सं. CEA-PS-13-17(42)/7/2022-PSPM Division.—जबकि कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-52/6, जी/एफ, अली एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली-110044, इंडिया है, ने पारेषण योजना "महाराष्ट्र में उस्मानाबाद क्षेत्र (1 गीगावाट) में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. . सीईए-पीएस -11-23(20)/1/2018-पीएसपीए-I Division दिनांक 07.10.2021 के द्वारा पारेषण योजना "महाराष्ट्र में उस्मानाबाद क्षेत्र (1 गीगावाट) में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 21.01.2022 (नवभारत, बिजनेस स्टैंडर्ड, लोकमत, बीड रिपोर्टर और राजधर्म) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 12.02.2022 से 18.02.2022 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 27.04.2022 दिनांकित एक हलफनामा

प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों/भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "महाराष्ट्र में उस्मानाबाद क्षेत्र (1 गीगावाट) में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. कल्लम पीएस में परली (पीजी)-पुणे (जीआईएस) 400 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों का एलआईएलओ ।

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:—

1. राज्य: महाराष्ट्र

अ.क्र.	गांवों का नाम	तालुका	जिला (राज्य)
1	सेलू, पिंपलगाव कोथला (पिंपलगाव - को.), डोंगरवाडी (डोंगरेवाडी), सारोला-मांडवा [सारोल (मांडवा)], पारा, फक्राबाद (फकराबाद), सिंगेवाडी, पिंपलगांव लिंगी (पिंपलगांव - लि.), लिंगवाडी	वाशी	उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
2	बहुला, भोगजी (भोगाजी), आढला (आढाला), आडसुलवाडी, पाथर्डी, आथर्डी, ईटकुर, गंभीरवाडी, बोरगाव धनेश्वर [बोरगाव (ध.), (बोरगाव)]	कल्लम (कलंब)	उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
3	पिटटी घाट (पिटटीघाट), शिरूर (शिरूरघाट), नांदुर घाट (नांदुरघाट), गडलियाचिवाड़ी, डोथ्रा (धोत्रा), वाघे बाभुलगाव (वाघे-बाभुलगाव), एकुरखा (एकुरका), मुंढेवाडी, नारेवाडी, सारणी [सारणी (सांगवी)], सांगवी [सांगवी (सा)], सारुल, जोला, सासुरा, हांगेवाडी, पवारवाडी, खरमाटा, देवगाव (देवगाव), दहीफल (दहीफल वडमाऊली), बेलगाव, मालेवाडी, नाहोली, खोमनवाडी, खाडेवाडी, डाकणवाडी (ढाकणवाडी), आगेवाडी, बानेगाव, दरडवाडी, राजेगाव, दहितणा (दैठणा), रामेश्वरवाडी (रामेश्वर वाडी), बंदेवाडी	केज	बीड (महाराष्ट्र)
4	पांढरेचिवाडी (पांढ-याचीवाडी), धवज्याचीवाडी (धावज्याचीवाडी), तांदुलवाडी (तांदल्याचीवाडी), खडर्याचीवाडी, चाकरवाडी (चाकूरवाडी), येलम्ब (येलम्बघाट)	बीड	बीड (महाराष्ट्र)

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है—

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vi) कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव,

[विज्ञापन-III//4/असा./144/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2022

F. No. CEA-PS-13-17(42)/7/2022-PSPM Division. —Whereas Kallam Transmission Limited, the applicant with its registered office at A-52/6, G/F, Ali Extn, Badarpur, New Delhi -110044, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Transmission System for evacuation of power from RE Projects in Osmanabad area (1 GW) in Maharashtra".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division dated 07.10.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to Kallam Transmission Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme "Transmission System for evacuation of power from RE Projects in Osmanabad area (1 GW) in Maharashtra".

Kallam Transmission Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 21.01.2022 (Navbharat, Business Standard, Lokmat, Beed Reporter and Rajdharma) and in Weekly Gazette of India dated 12.02.2022 to 18.02.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, Kallam Transmission Limited has submitted an affidavit dated 27.04.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers/Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission System for evacuation of power from RE Projects in Osmanabad area (1 GW) in Maharashtra". The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. LILO of both circuits of Parli(PG) – Pune (GIS) 400kV D/c line at Kallam PS

The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

State:—Maharashtra

Sl. No	Name of Villages	Taluka	District (State)
1.	Selu, Pimpalgaon Kothala [Pimpalgaon(k)], Dongarwadi (Dongrewadi), Sarola Mandwa (Sarol (Mandva)), Para, Fakrabad (Fakarabad), Singewadi, Pimpalgaon Lingi [Pimpalgaon(l)], Lingwadi	Washi	Osmanabad (Maharashtra)
2.	Bahula, Bhogji (Bhogaji), Adhla (Adhala), Adsulwadi, Pathardi, Athardi, Itkur, Gambhirwadi, Borgaon Dhaneshwar (Borgaon)	Kallam (Kallamb)	Osmanabad (Maharashtra)

3.	Pithi Ghat (Pitthighat), Sirur (Shirurghat), Nandur Ghat (Nandurghat), Gadliyachiwadi, Dothra (Dhotra), Waghe Babulgaon (Waghebabhalgaon), Ekurkha (Ekurka), Mundewadi, Narewadi, Sarni [Sarni (Sangvi)], Sangvi [Sangvi (s)], Sarul, Jola, Sasura, Hangewadi, Pawarwadi, Kharmata, Devgaon (Deogaon), Dahiphal (Dahiphal wadmauli), Belgaon, Malewadi, Naholi, Khomanwadi, Khadewadi, Dakanwadi (Dhakanwadi), Agewadi, Banegaon, Daradwadi, Rajegaon, Dahitna (Daithana), Rameshwarwadi, Bandewadi	Kaij	Beed (Maharashtra)
4.	Pandrechiwadi (Pandharyachiwadi), Dhawjiyachiwadi (Dhavjyachiwadi), Tandulwadi (Tandalyachiwadi), Khardiyachiwadi, Chakarwadi (Chakurwadi), Yellamb (Yelambghat)	Beed	Beed (Maharashtra)

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to Kallam Transmission Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years.

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines.

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) Kallam Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

RAKESH GOYAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./144/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.28 15:53:14 +05'30'